संख्या– 410 /XVI(2)/11/7(37)/08

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन,चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:–1 देहरादूनः दिनांक 29 मार्च,2011

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना "0109–राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एपीडा आदि द्वारा पोषित योजना पर 20% राज्यांश"में सम्भावित बचत से आयोजनागत पक्ष की योजना "06–चाय विकास योजना" में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, चाय विकास बोर्ड के पत्रांक–719/3–लेखा/अनुपूरक बजट/2010–11, दिनांक–16–3–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की "0109–राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एपीडा आदि द्वारा पोषित योजना पर 20% राज्यांश" के उप मानक मद 50–सब्सिडी में उपलब्ध बचत ₹–95.00 लाख (₹ पिच्चानबे लाख मात्र) का पुनर्विनियोग संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार आयोजनागत पक्ष की योजना **"06–चाय विकास योजना"** के उप मानक मद 20–सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता में करते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–515/XXVII(1)/2009,दिनांक–28 जुलाई,2009 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

(3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

(5) व्यय की सूचना प्रपत्र बी0 एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय।

(6) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण– वितरण अधिकारी को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय, ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

....2/

(7) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–29 ५ 2401–फसल कृषि कर्म 119–बागवानी और सब्जियों–06–चाय विकास योजना– 0602– राज्य में चाय विकास योजना के उप मानक मद–20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0–15 (पुनर्विनियोग विवरण पत्र) के कॉलम–01 की बचतों से वहन किया जायेगा

(8) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–495(P)/वित्त अनु0–4/2010–11 दिनांक–29 मार्च,2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या–410 /XVI(1)/11/7(3)/10,तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा,देहरादून।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन।
4. बजट राजकोषीय,नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड, अल्मोड़ा।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

(विनोद फोनिया)
सचिव।